जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
उल्लेखित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र दिनांक एवं क्रमांक अवश्य लिखा जावे जिससे लाभ हो।

ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : 0091 (0751) 2442951 (कार्यालय)
2442452 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2347768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एच/सम्बद्धता/2012/ 5790

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार एच.आई.सी.टी. महाविद्यालय ग्राम-अटूपुरा, झांसी रोड, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एस-सी. प्लेन/अति.वि. बायोटेक, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय में प्राचार्य सहित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति धारा 28(17) के अन्तर्गत तीन माह में अनिवार्य रूप से की जावे।
2. प्रयोगशालाओं हेतु रूपये दो लाख के उपकरण एवं केमीकल क्रय किये जावे।
3. पुस्तकालय हेतु रूपये एक लाख की मानक पुस्तकें क्रय की जावे।
4. बी.बी.ए. एवं बी.एस सी. (बायोटेक) पाठ्यक्रम हेतु पृथक से भवन निर्मित किया जावे।
5. प्राचार्य सहित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ के वेतन का भुगतान चैक के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे।
6. खेल का मैदान सुव्यवस्थित किया जावे।
7. उपरोक्त शर्तों के पूर्ण होने तक सीट संख्या में वृद्धि नहीं की जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एच.आई.सी.टी. महाविद्यालय ग्राम-अटूपुरा, झांसी रोड, ग्वालियर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)